IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तराखंड में पंचायती राज की चुनौतियां एवं समाधान

चिन्तामणि

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान

राजकीय महाविद्यालय गुप्तकाशी

(विद्यापीठ) रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, भारत

सारांश

नवनिर्मित उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई और समयानुसार इस व्यवस्था ने उत्तराखंड ग्रामीण व्यवस्था में नए -नये परिवर्तन किए तथा उत्तराखंड की ग्रामीण व्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम किया। पंचायती राज व्यवस्था ने ना केवल उत्तराखंड में बल्कि संपूर्ण भारत को परिवर्तनकारी सकारात्मक दिशा प्रदान की। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो सबसे पहले ग्रामीण और शहरी संस्थाओं की स्थिति मजबूत हुई। केंद्रीय स्तर पर पंचायती राज निकायों से संबंधित मामलों की देखरेख ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है जिसका मुखिया कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। नवनिर्मित उत्तराखंड में 4 अप्रैल 2016 को पंचायती राज के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया और इस मंत्रालय ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए नए आयाम स्थापित किए। पंचायत राज व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया जिसमें (1) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन(2) स्थानीय शहरी स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में नगर निगम , नगर पालिका , नगर पंचायत जैसी संस्थाओं में बांट दिया गया जबकि ग्रामीण सुशासन में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत आदि भागों में बांट दिया गया। इन संस्थाओं को स्वायत्तशासी बनाया गया है जिससे स्वनिर्भर होकर यह कार्य कर सकें और वित्तीय शक्तियों का स्वयं वे प्रयोग कर सकें। पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत संवैधानिक रूप से 18 विषयों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो शहरी स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन विकास की दृष्टि से अधिक परिपक्व हो गया है। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, सड़क , पानी जो मूलभूत समस्याएं बनी हुई थी वह अब समयानुसार विकास के पथ पर आगे बढ़ गई है

लेकिन यह सब होते हुए भी आज उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियां बनी हुई है जिसमें मुख्य रुप से वित्त की समस्या , कर्मचारियों की समस्या,भौगोलिक समस्या आज भी बनी हुई है । जब तक वित्त नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता । इसलिए इन संस्थाओं के सामने स्वायत्त रूप में काम करने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां बनी हुई है।

मुख्य बिंदु - पंचायती राज की संवैधानिक व्यवस्था, उत्तराखंड में पंचायती राज का बदलता स्वरूप, उत्तराखंड में पंचायती राज की उपयोगिता, उत्तराखंड में पंचायती राज की चुनौतियां एवं समाधान

प्रस्तावना

भारत में पंचायत राज व्यवस्था का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है जो गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे । तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था 1960 से शुरू हो गई थी । 1961 में पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय रूप में लागू हुई थी । 22 अप्रैल 1994 को एक संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम 1993- 94 लागू किया गया । जब अलग उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो 2002-03 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था में उचित संशोधन करते हुए यथावत बनाने का निर्णय लिया । पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का सबसे उच्च निकाय है । यह स्वायत्तशासी नियमों से निर्मित है । सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है । जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है । पंचायत का कार्य अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी होता है और साथ ही साथ मुख्य विकास अधिकारी इनका सर्वे सर्वा होता है । मुख्य विकास अधिकारी राज्य स्तर या अखिल भारतीय स्तर का लोक सेवक होता है । अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए जिला पंचायत कई समितियों का भी गठन करती है जिसमें नियोजन एवं विकास समिति , शिक्षा समिति , स्वच्छता समिति, पेय जल समिति और कार्य निर्माण समिति आदि होती है । पंचायत राज व्यवस्था को तीन खंडों में बांटा गया है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत आदि आते है । ग्राम पंचायत स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख या जेष्ट प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष ही निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । पंचायत व्यवस्था को देखने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी इसके सचिव होते हैं ।एक ग्राम पंचायत में कई ग्राम प्रधान होते हैं और क्षेत्र स्तर पर एक ही प्रमुख / ब्लाक प्रमुख तथा जिला पंचायत स्तर पर एक अध्यक्ष होता है । उत्तराखंड ने अपना अलग पंचायत राज अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत 4 अप्रैल 2016 को राज्यपाल के हस्ताक्षर करते ही लागू कर दिया था ।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध विषय के निम्नलिखित उद्देश्य -

(1) पंचायत राज व्यवस्था की संवैधानिकता का पता लगाना.

(2) पंचायती राज व्यवस्था का उत्तराखंड पर प्रभाव

(3) पंचायती राज व्यवस्था से उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

(4) उत्तराखंड में पंचायत राज की समस्याएं एवं समाधान

(5) उत्तराखंड में पंचायत राज का बदलता स्वरूप

उपयोगिता

उत्तराखंड में पंचायती राज की महत्ता को देखिए तो पता चलता है कि यदि सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है तो वह है पंचायती राज व्यवस्था। इस व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए है। छोटे-छोटे गांव अब शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे है। यदि पंचायत राज व्यवस्था को उत्तराखंड में सही तरीके से धरातल पर उतारा जाए तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र विकास के नए नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और सड़क तथा स्थानीय रोजगार को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण किए जा सकते हैं क्योंकि इन ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्याएं मूल प्राथमिकता में है। स्थानीय स्तर पर पंचायत राज के माध्यम से रोजगार देकर पलायन को भी रोका जा सकता है। पंचायत राज सस्थाओं की पूर्ण स्वायत्तता से नीतिगत निर्णय लेने में आसानी हुई है जिसे आम जनता तक सरकारी योजनाएं आसानी से पहुंच पाई है।

पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिकता

पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73 वां संविधान संशोधन के निम्न प्रावधान है -

अनुच्छेद	विषय
243 .	परिभाषाएं
243(A)	ग्राम सभा
243(B)	पंचायतों का वर्णन
243(C)	पंचायतों का गठन
243(D)	सीटों का आरक्षण
243(E)	पंचायतों का कार्यकाल
243(F)	सदस्यों की अयोग्यता

- 243(G) पंचायतों की शक्तियां

243(H) करारोपण की शक्ति

243(I) वित्त आयोग का गठन

243(J) लेखा परीक्षण

243(K) पंचायतों का चुनाव

243(L) संघीय क्षेत्रों पर अधिनियमित

243(M) कुछ विषयो पर लागू ना होना

243(N) निर्मित कानूनों को जारी रखना

243(O) चुनाव मामलों में हस्तक्षेप नहीं

पंचायतों का गठन एवं ढांचा

पंचायतें वे समस्त कार्य करेंगी जिसके लिए राज्य विधानमंडल उन्हें निर्देशित किया है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वे पंचायतों का गठन कर सकती है। पंचायत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ उत्तराखंड में 50% महिला आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इससे पहले भी उसे विघटित किया जा सकता है तथा तत्पश्चात 6 माह के अंदर चुनाव कराने आवश्यक है। राज्य विधान मंडल ने पंचायतों को ऐसी शक्तियां दी हैं जिसे वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बना सके। पंचायतों को अपनी सीमाओं में कर शुल्क, मार्ग शुल्क नियोजित करने का अधिकार होगा। राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए वित्तीय अनुदान उपलब्ध होता है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा और प्रत्येक वर्ष यह आयोग पंचायतों की रिपोर्ट को राज्यपाल को देगा। राज्य विधान मंडल पंचायतों का लेखा परीक्षण भी देखेगा और पंचायतों के समस्त निर्वाचन संबंधी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के पास होंगे। पंचायते तीन स्तरों पर बंटी हुई है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत/जिला परिषद आदि।

पंचायतों के कार्य

समयानुसार पंचायतों के कार्यों में वृद्धि एवं परिवर्तन होता रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पंचायतों के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में परिवर्तन होता रहा है।यदि वास्तविक रूप से देखें तो उत्तराखंड ने पंचायती राज व्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। पंचायतों को संविधान के अनुसार जो कार्य दिए गए हैं वह निम्न प्रकार है -

(1) सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करना - पंचायत राज व्यवस्था के प्राथमिक कार्यों में सड़क शिक्षा,स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करना है। इसके लिए पंचायतों को सीधे संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं जिससे वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र होकर कार्य कर सकें। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क शिक्षा, स्वास्थ्य मूलभूत

अवश्यकता है जो पंचायतों के प्राथमिक कार्य हैं। इनके बिना पंचायती राज व्यवस्था की विकास की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है।

(2) बिजली की व्यवस्था करना - सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना भी प्राथमिक कार्य है। यह आज भी देखा जाए तो पता चलता है कि उत्तराखंड के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है जिसे विकास के सारे मार्ग बंद हो गए। सरकारी स्तर पर पंचायतों को प्रत्यक्ष अधिकार दिया गया है कि ऐसे कार्यों के लिए सरकार से पत्राचार कर अपने क्षेत्र अधिकार में रहकर कार्य करें

(3) पानी की व्यवस्था करना - बिना जल के मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते है इसलिए पंचायतों का कार्य होगा कि वह नए-नए जल स्रोतों का पता लगाकर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करें। देखा जाता है कि सरकार का दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच ना होकर पंचायतों के माध्यम से इन कार्यों को कराया जाता है।

(4) यातायात की व्यवस्था करना - यदि हम उत्तराखंड के प्रत्येक जिलों में जाएं तो पता चलता है कि पुलिस व्यवस्था ना होने के कारण यातायात की व्यवस्था राजस्व विभाग देखता है। लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की व्यवस्था करना पंचायतों का एक प्रमुख कार्य हो गया है।

(5) सिंचाई की व्यवस्था करना - पंचायतों का एक प्रमुख कार्य सिंचाई की व्यवस्था करना है। हम उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर डालें से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश भू-भाग पर सिंचाई की व्यवस्था ना के बराबर है। सरकार ने पंचायत के प्रतिनिधियों को अधिकार सौंपा है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था करें। पंचायती इन कार्यों को मनरेगा योजना के अंतर्गत पूर्ण कर सकती है। नलकूप और नहरे इसके उदाहरण हो सकते हैं।

(6) ग्रामीण स्तर पर मार्गों का निर्माण एवं सुधारीकरण - पंचायती अपनी ग्रामीण स्तर पर छोटे-छोटे पक्के मार्गों का निर्माण कर सकती है। शुरू से देखा जाए तो आज भी उत्तराखंड ग्रामीण स्तर पर पक्के मार्गो का निर्माण और आवश्यकता अनुसार उनका सुधारीकरण भी किया जाता है।

(7) चकबंदीओ का निर्माण - पंचायते अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हुए *चकबंदियो* का निर्माण कर सकती है ।(8) पशुपालन की व्यवस्था करना - पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है कि कि वह अपने क्षेत्र में पशुपालन की व्यवस्था करें।

(9)पशुचारे की व्यवस्था करना - पंचायत स्तर पर जहां जंगलों की कमी है वहां पर आचार्य के भंडार बनाए जाएं भूसा सूखी घास आदि की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर पंचायतों द्वारा की जाती है।

(10) खेलकूद की व्यवस्था करना - ग्रामीण क्षेत्रों पर खेल मैदानों का अभाव होता है जिस कारण युवा प्रतिभागी खेलों में आगे नहीं बढ़ पाते। इसी को देखकर वे पंचायतों को यह कार्य सौंपा गया है कि अपने क्षेत्रों मैं सरकार से वित्त व्यवस्था करा कर नई खेल मैदानों का निर्माण करें।

(11) कृषि संबंधित सुधारात्मक कार्य भी पंचायतों द्वारा किये जाते हैं।

(12) कुटीर उद्योग एवं सहकारी समितियों की व्यवस्था करना और साथ ही साथ छोटी-छोटी वित्त सहकारी समितियों के माध्यम से जनता को ऋण उपलब्ध कराकर जनता को प्रोत्साहित करना पंचायतों का ही कार्य है।

(13) पंचायत भवनों एवं बरात -घरों का निर्माण करवाना।

पंचायती राज संबंधित समितियां

पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए समय-समय पर भारत सरकार ने कुछ समितियों का गठन भी किया और इन समितियों ने अपने कुछ सुझाव भी दिए जिसे सरकार ने समय अनुसार लागू भी किया। प्रमुख समितियों का वर्णन निम्न प्रकार है -

(1) बलवंत राय मेहता समिति(1957)- इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तीन स्तरीय पंचायत राज, अप्रत्यक्ष चुनाव माध्यम आदि की प्रमुख सिफारिशें की थी।

(2) अशोक मेहता समिति (1978)- इस समिति ने 132 सिफारिशें की थी जिसमें द्वि-स्तरीय प्रणाली, विकेंद्रीकरण पर जोर, राजनीतिक दलों की भागीदारी, राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी की व्यवस्था आदि मुख्य सिफारिशें की गई ।

(3) जी. बी. के राव समिति (1985)- इस समिति ने चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी।

(4) एल. एम. सिंघवी समिति (1986)- इस समिति ने कुछ प्रमुख सिफारिशे की थी, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना, न्याय पंचायतों का गठन, अधिक वित्तीय स्वायत्तता, न्यायिक अधिकरणों की स्थापना आदि।

(4) पी. के. थूंगन समिति (1988)- प्रत्येक राज्य में 1 वित्त आयोग बनाने की सिफारिश की गई।

पंचायत राज की चुनौतियां

उत्तराखंड में यदि पंचायत राज व्यवस्था को देखें तो पता चलता है कि वर्तमान समय में इन संस्थाओं को जितना स्वायत्तशासी बनाया गया है उतना ही इनके सामने चुनौतियां आ रही है। उत्तराखंड में पंचायत राज के सामने निम्नलिखित चुनौतियां है -

(1) वित्त की समस्या - यदि हम आज के वर्तमान हालात को देखें तो पता चलता है कि उत्तराखंड में पंचायत राज व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या वित्त की है। सरकार ने तो वित्त आयोग का गठन किया लेकिन आयोग आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध नहीं करा पाता जिस कारण पंचायती पूर्ण वित्त के अभाव में सरकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाती।

(2) संगठनात्मक समस्या - पंचायती राज व्यवस्था को देखें एक संगठनात्मक व्यवस्था है। कार्यों में एकता ना होने के कारण कोई भी कार्य सरलता से नहीं हो पाता और लगातार नई -नई जटिलताएं पैदा होती रहती हैं । व्यवस्था की संगठनात्मक स्वरुप को एकता के सूत्र में बांधकर कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। आज उत्तराखंड के पंचायत राज व्यवस्था में एक संगठनात्मक चुनौती बनी हुई है क्योंकि त्रि -स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में धन आवंटन भेदभाव से एक चुनौती पैदा हो जाती कैसे इनमें सामजस्य बिठाया जाए जिसे पंचायत राज व्यवस्था विकास की ओर निरंतर अग्रसर रहे।

(3) स्वायत्तता की समस्या - पंचायती राज व्यवस्था को जहां एक ओर पूर्ण स्वायत्तता दी गई है अथार्थ 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है लेकिन यह शक्तियां केवल औपचारिक है क्योंकि पंचायतों को कार्यों की

अनुमति के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता पड़ती है जो अनुमति समय पर नहीं मिल पाती है जो स्वायत्ता की बात को नकार देता है और स्वनिर्भर होने के बजाय सरकार पर निर्भर हो जाती है।

(4) दलगत राजनीति की समस्या - सामान्य रूप से देखा जाता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधि अलग-अलग दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि यह चुनाव दलगत राजनीति से बाहर होते हैं जो सत्य नहीं है। यह प्रतिनिधि प्रशासकीय कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप करते रहते हैं जिससे छोटे-छोटे कार्यो में भी राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है।

(5) आरक्षण की चुनौती - पंचायती राज में आरक्षण को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि कई बार जनसंख्या के अभाव में भी अल्पसंख्यक वर्ग जाति के व्यक्ति को निर्वाचित करना पड़ता है।

(6) कार्यों और प्रक्रियाओं में जटिलता - पंचायत राज के कार्यो में अधिक जटिलता देखने को मिलती है। सामान्यतया देखा जाता है कि एक कार्य को करने के लिए फाइल अनेक चरणों से होकर गुजरती है जिस पर समय और धन का अपव्यय होता है।

(7) जन जागरूकता का अभाव - राज्य सरकार पंचायती राज के लिए जो भी योजनाएं चलाती हैं उसे सही ढंग से पंचायतें अपने क्षेत्रों में लागू नहीं कर पाती।

(8)जटिल नौकरशाही- पंचायती राज के लिए जो भी कार्य होता है प्रारंभिक स्तर पर नौकरशाही स्तर से होकर गुजरता है लेकिन जटिल नौकरशाही के कारण कार्य आसानी से आगे नहीं बढ़ पाते।

(8) निर्धारित समय पर चुनाव नहीं - निर्धारित समय पर चुनाव ना होना पंचायतों के लिए एक बड़ी समस्या बनी रहती है जिससे यह अपनी योजनाओं को सही समय पर धरातल पर नहीं उतर पाते हैं।

(9) महिला प्रतिनिधि कार्य स्वयं ना कर अपने पति के माध्यम से करती है - सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है महिला प्रतिनिधि स्वयं कार्य न करके अपने पति से पूर्ण करवाती है जो जनता की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरते हैं जिससे सरकारी कार्य में पारदर्शिता का अभाव हो जाता है।

(10) पंचायतों को लेखा परीक्षण का भी अधिकार नहीं है जो पारदर्शिता को रोकता है। अत: समय पर वित्तीय परीक्षण ना होने के कारण सरकारी योजनाओं में अनियमितता बनी रहती है।

पंचायत राज की चुनौतियों का समाधान

हमें उत्तराखंड के पंचायत राज में जितनी भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं उन सबका सरकारी और राजनीतिक प्रतिनिधियों के स्तर पर आसानी से समाधान हो सकता है। इस व्यवस्था में जो भी जटिलता देखी जा रही है और यदि सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति हो तो सरकार आसानी से इन समस्याओं को सुलझा सकती है। समाधान निम्न प्रकार हो सकते हैं -

(1) वित्त की पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं उस पर सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। यदि पंचायतें पूर्ण रुप से स्वतंत्र होकर वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करती हैं तो पंचायत के कार्यों में समय का अनुपयोग और अपव्यय को रोका जा सकता है और विकास तेज गति पकड़ेगा।

(2) अधिक से अधिक विषयों को पंचायतों को सौंप दिया जाना चाहिए।

(3) समय-समय पर पंचायतों का लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता और जवाबदेय बनी रहे।

(4) पंचायत प्रतिनिधियों को अधीनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारी की चरित्र -पंजिका(C. R) लिखने की शक्ति दी जाए।

(5) जिलाधिकारी को मुख्य कार्याधिकारी बनाया जाए।

(6) पंचायत के संबंधित अधिकारी प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन जनता दरबार लगाएं।

(7) संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों को बैठकों में शामिल होने के लिए निश्चित यात्रा भत्ता दिया जाए।

(8) वित्त आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर कार्य करें और समय-समय पर बजट की समीक्षा करते रहे।

(9) संबंधित पंचायत स्तरों पर एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाया जाए जिससे जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को जोड़ा जाए

(10)नौकरशाही स्तर पर जब भी पंचायत संबंधी कानूनों का निर्माण होता है तो ऐसे कानों को बनाते समय क्षेत्रीय भौगोलिक स्तर को देखा जाए।

(11)विभागीय मंत्री पंचायत योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करें।

(12) पंचायत प्रतिनिधियों को निश्चित मानदेय दिया जाए।

(13)ऋण सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय बैंकों की कार्य प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ।

(14) संविधान में जो भी पंचायती प्रावधान है उनको सख्ती से लागू किया जाए।

उत्तराखंड पंचायत का वर्तमान बदलता स्वरूप

ई -स्वराज पोर्टल

देश में विकास बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने नए नए नवाचार करने शुरू कर दिए लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की सभी योजनाएं नहीं खोल पाती हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नवाचार कार्यक्रम शुरू किया । यह नवाचार 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई -स्वराज पोर्टल (e-ग्राम स्वराज पोर्टल) और ई -ग्राम स्वराज एप लांच किया । इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। ई -स्वराज पोर्टल का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है -

(1) पंचायतों का लेखा जोखा डिजिटल प्लेटफॉर्म ई- स्वराज पोर्टल पर होगा.

(2) पोर्टल पर पंचायत के विकास कार्यों, उसके फंड और काम काज़ प्रत्येक व्यक्ति के पास होगी.

(3) यह पोर्टल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा.

(4) यह पोर्टल ड्रोन के माध्यम से संपत्ति की मैपिंग करेगा.

(5) इस पोर्टल के माध्यम से शहरो की तरह ग्रामीण संपत्तियों पर भी बैंक से लोन लिया जा सकता है.

(6) पंचायतों की समस्त जानकारी वेबसाइट www.egramswaraj.gov.in के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

25 जुलाई की एक घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड को वर्ष 2022-23 के लिए 135 करोड़ की स्वीकृति दी गई है जिस आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज को मजबूती मिलेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए मानदेय तय किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यात्रा खर्च की भी व्यवस्था की जाएगी। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गरीबी मुक्त एवं आजीविका मुक्त गांव, स्वस्थ गांव,उन्नत गांव जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार प्रयासरत है। इस योजना के अंतर्गत 135 करोड़ की जो स्वीकृति मिली है उसमें कर्मचारियों को प्रशिक्षण क्षमता विकास और 9 लक्ष्यों पर खर्च किया जाएगा। 95 विकास खंडों में 1-1 कंपैक्टर, पार्किंग, 200 पंचायत भवन निर्माण, 500 ग्रामों का कंप्यूटरीकरण आदि कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड के पंचायत राज मंत्री श्री सतपाल महाराज ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए गेस्ट हाउस में सरकारी शुल्क में ठहरने की व्यवस्था करने की घोषणा और सभी पंचायत प्रतिनिधियों के सचिवालय पास बनाए जाने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही साथ सभी पंचायत प्रतिनिधि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, जेष्ट प्रमुख,कनिष्ठ प्रमुख के मानदेय में वृद्धि करने की उन्होंने घोषणा की है।
(अमर उजाला देहरादून उत्तराखंड 25 जुलाई 2022 पेज-04)

अध्ययन पद्धति

संबंधित शोध सामग्री को प्रमुख रूप से द्वितीय स्रोतों से ग्रहण किया है। शोध सामग्र प्रसिद्ध पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, लेखो, विभिन्न आलेख, पत्र-पत्रिकाओ, विभागीय वेबसाइट, समाचार पत्रों आदि से प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के शहरी एवं विकास मंत्रालय और उत्तराखंड सचिवालय से निर्मित पंचायती अधिनियमो तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों का विश्लेषण किया है।

निष्कर्ष

भारतीय स्थानीय स्वशासन में उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था को देखें तो पता चलता है कि उत्तराखंड पंचायती राज के सामने जो कठिनाइयां एवं चुनौतियां आ रही है उनका समाधान भी उतना ही सरल है। संविधान में पंचायतों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं यदि इनको सही तरीके से पंचायते धरातल पर उतारे तो निश्चित हो जाता है उत्तराखंड की पंचायत राज व्यवस्था एक पूर्णकालिक विकासधारा है जो कभी रुकने वाली नहीं है। सामान्यतया देखा जाता है कि कोई भी राज्य सरकार पंचायती प्रावधानों को पूर्ण रुप से लागू न कर अपना हस्तक्षेप रखती है जिससे पंचायतें पूर्ण रूप से स्वनिर्भर होकर कार्य नहीं कर सकती। उत्तराखंड में पंचायती राज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 86% भूभाग पर्वतीय है जहां पर यह स्थानीय संस्थाएं विकास का महत्वपूर्ण मार्ग हो सकती

है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने पंचायती व्यवस्था के लिए नये ऐप लॉन्च किए है जिसके आधार पर पंचायतों को सीधे ऑनलाइन नेटवर्किंग से जोड़ दिया गया है। अत: वर्तमान समय में उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था में सरकारी प्रयासों से समया नुस्वार आमूल- चूल परिवर्तन हो रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

(1) http://ukpanchayat. gov. in पंचायतीराज निदेशालय उत्तराखंड

(2) उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, उत्तराखंड सचिवालय, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन,अंतिम संस्करण जनवरी 2017

(3) अमर उजाला देहरादून,उत्तराखंड, 25 जुलाई 2022

(4) मेनैनी एस. आर, स्थानीय स्वशासन, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, प्रथम संस्करण, जनवरी 2016.

(5) त्रिपाठी केसरी नंदन, उत्तराखंड: एक समग्र अध्ययन, बौद्धिक प्रकाशन प्रयागराज 2021.

(6) श्रीवास्तव शिवानंद, पंचायत राज मैनुअल 1947 (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) लखनऊ 2022